रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-06022024-251879 SG-DL-E-06022024-251879

असाधारण EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह (पुलिस स्थापना) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 5 जनवरी, 2024

फा. सं. 14/705/2725/2021/गृह पुलिस —II/पीएससी/5744—5750—प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 (2005 का 29) की धारा 2 के खंड (i) के साथ पठित धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 08.10.2009 की अधिसूचना संख्या फा0 5/72/2005/गृ0पु0—1/स्था0/2901—2908 द्वारा प्रकाशित दिल्ली प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) नियमावली, 2009 के अधिक्रमण में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः—

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ-

- (1) इन नियमों को दिल्ली प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) नियमावली, 2023 कहा जाए।
- (2) ये राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- 2. परिभाषाएँ- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-
- (क) "अधिनियम" का अभिप्राय प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 (2005 का 29) से है;
- (ख) "प्राइवेट" का अभिप्राय प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण से है;

804 DG/2024 (1)

- (ग) "अपीलीय प्राधिकारी" का अभिप्राय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के गृह विभाग में अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव से है;
- (घ) "नियंत्रक प्राधिकारी" का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 2 के खंड (ख) में उसे निर्दिष्ट है;
- (ड़) "जिला" का अभिप्राय दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 (1978 का 34) की धारा 10 के खंड (क) के अंतर्गत गठित किसी जिला से हैं;
- (च) "प्रपत्र" का अभिप्राय इन नियमों के साथ संलग्न प्रपत्र से है;
- (छ) "सरकार" का अभिप्राय अनुच्छेद 239 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त तथा संविधान के अनुच्छेद 239 कक के अंतर्गत नामित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल से है;
- (ज) "लाइसेंस" का अभिप्राय अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंस प्रदान करने से है;
- (झ) इन नियमों में जिन शब्दों और अभिव्यक्तियों को परिभाषित नहीं गया है, परंतु अधिनियम में परिभाषित किया गया है, का क्रमशः वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उन्हें निर्दिष्ट है;

3. लाइसेंस प्रदान करने हेतू आवेदन:--

- (1) प्रत्येक अभिकरण लाइसेंस प्रदान करने के लिए नियंत्रण प्राधिकारी को प्रपत्र—I में आवेदन करते समय अपने पूर्ववृत्त सत्यापन के लिए प्रपत्र—IIको भी संलग्न करेगा।
- (2) यदि आवेदक एक कंपनी, फर्म या व्यक्तियों का संघ है, तो प्रपत्र—I में आवेदन, कंपनी के प्रत्येक स्वत्वधारी या बहुसंख्यक शेयरधारक, भागीदार या निदेशक जैसे कि वे भी आवेदक थे;के लिए प्रपत्र—II के साथ होगा। इसके अतिरिक्त, वह अधिनियम की धारा 7 की उप—धारा (2) में निहित प्रावधानों के संबंध में ब्यौरों को शामिल करते हुए प्रपत्र—III में एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।
- (3) प्रपत्र—I, प्रपत्र—II, प्रपत्र—III की प्राप्ति पर, नियंत्रक प्राधिकारी,जैसा वह आवश्यक समझे, आवेदन की अंतर्वस्तु और आवेदक के विवरणों को सत्यापित करने के लिए पूछताछ करेगा।
- (4) नियंत्रक प्राधिकारी आवेदक के पूर्ववृत्त के सत्यापन के प्रयोजनार्थ अपराध और आपराधिक के इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस जैसे अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और तंत्र (सीसीटीएनएस), अंतर—संचालन आपराधिक न्याय तंत्र (आईसीजेएस) का उपयोग करेगा।
- (5) जहां भी किसी आवेदक के पूर्ववृत्त को पहले किसी अन्य राज्य में सत्यापित किया गया हो और लाइसेंस प्रदान किया गया हो, तो नियंत्रक प्राधिकारी के लिए पूर्ववृत्त को नए सिरे से सत्यापित करना आवश्यक नहीं होगा; बशर्ते कि जिस लाइसेंस के लिए पूर्ववृत्त सत्यापित किया गया है, वह वैधता की अविध के अंतर्गत हो।
- (6) जहां आवेदन किया जा रहा है, वहां संबंधित राज्य के नियंत्रक प्राधिकारी को देय मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर चैक या इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (3) के अंतर्गत यथानिर्धारित शुल्क के भुगतान को दर्शाने हुए प्रपत्र—I के साथ संलग्न होगा ।
- (7) उप–नियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन,नियंत्रक प्राधिकारी को या तो व्यक्तिगत रूप से दिया जाएगा अथवा उसे पंजीकृत डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भेजा जाएगा।
- (8) उप–नियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन प्राप्ति पर, नियंत्रक प्राधिकारी आवेदन को उसके द्वारा प्राप्त किए जाने की तिथि उस पर लिखने के पश्चात् आवेदक को एक इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिस्वीकृति प्रदान करेगा।
- (9) नियंत्रक प्राधिकारी, प्रपत्र—I में आवेदन प्राप्त करने के पश्चात्, ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा वह आवश्यक समझे और अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन के पश्चात् प्रपत्र—IV में प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण को लाइसेंस प्रदान करेगा।
- बशर्ते कि यदि निजी सुरक्षा एजेंसी ने पहले ही किसी अन्य राज्य के नियंत्रक प्राधिकारी से लाइसेंस प्राप्त कर लिया है, तो लाइसेंसधारी को अपेक्षित प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होगी।
- 10) नियंत्रक प्राधिकारी या तो स्वयं या अपने अधिकारी के माध्यम से या किसी अन्य माध्यमों द्वारा अभिकरण द्वारा दिए गए पते या पतों पर प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण के परिसर को सत्यापित करेगा।
- 11) नियंत्रक प्राधिकारी लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन में यथा उल्लेखित संबंधित राज्य में प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण के प्रधान कार्यालय को लाइसेंस जारी करने के पंद्रह दिनों के भीतर डाक द्वारा उसकी भौतिक प्रति को भिजवायेगा, जिसे प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण अपने व्यवसाय स्थल पर प्रदर्शित करने के लिए बाध्य होगी।
- 12) लाइसेंस प्रदान करने हेतु आवेदन की अस्वीकृति के मामले में, नामंजूरी का कोई आदेश नहीं दिया जाएगा जब तक-
- (क) आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो; और

- (ख) जिस आधार पर लाइसेंस प्रदान करने से इनकार किया गया हो, उसका उल्लेख आदेश में न कर दिया गया हो।
- (13) नियंत्रक प्राधिकारी सभी परिपेक्षों से उसे पूर्ण होने की प्राप्ति की तिथि से साठ दिनों के भीतर प्रपत्र—I पर आदेश पारित करेगा।
- (14) अभिकरण अपने नाम या लोगो अथवा प्रतीक में "भारतीय", "राष्ट्रीय" या किसी अन्य ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करेगी, जो किसी सरकारी संरक्षण का आभास देता हो, किसी अन्य प्रचलित कानून में निर्धारित ऐसे सभी प्रतिबंधों का पालन करना।

4. लाइसेंस प्रदान करने की शर्तैं-

- (1) लाइसेंसधारी, नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा यथानिर्धारित प्राइवेट सुरक्षा के संबंध में प्रशिक्षण उसके द्वारा नियत समय—सीमा के भीतर सफलतापूर्वक प्राप्त करेगा।
- (2) नियंत्रक प्राधिकारी, लाइसेंसधारी के प्रशिक्षण के लिए अपेक्षित विस्तृत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार करेगा।
- (3) प्रशिक्षण न्यूनतम छह कार्य दिवसों की अवधि का होगा। प्रशिक्षण में बड़े पैमाने पर निम्नलिखित विषय सिम्मिलित होंगे, अर्थात्;—
- (i) वर्तमान सुरक्षा रूपरेखा:
- (क) वीआईपी सुरक्षा
- (ख) आंतरिक सुरक्षा
- (ग) संस्थागत सुरक्षा;
- (ii) प्राइवेट सुरक्षा अभिकरणों की भूमिका और कार्यप्रणालीः
- (क) अग्निशमन
- (ख) आपदा / आपातकालीन प्रबंधन प्रोटोकॉल
- (ग) सुरक्षा कर्तव्य
- (घ) विभिन्न दस्तावेजों की जांच
- (ड़) सूचना सुरक्षा
- (च) अभिगम नियंत्रण
- (छ) विस्फोटक, आईईडी
- (ज) एंटी सबोटेज चेक (एएससी)
- (झ) सुरक्षा संबंधी उपस्कर
- (ञ) संसूचना उपस्कर
- (ट) गश्त
- (ठ) चौकी ड्यूटी
- (iii) विधिक उपबंध :
- (क) प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण(विनियमन) अधिनियम, 2005 (2005 का 29) और उससे संबंधित राज्य नियम
- (ख) सुसंगत श्रमिक विधियां
- (iv) सुरक्षा अभिकरणों का प्रबंधन
- (क) वर्दी
- (ख)प्राइवेट सुरक्षा अभिकरणों के कार्मिकों का प्रशिक्षण
- (ग) लाइसेंसधारी द्वारा दस्तावेजों और रिकॉर्ड का रखा जाना
- (घ) डाटा शेयरिंग प्रोटोकॉल
- (v) जनसाधारण, पुलिस और अन्य विभागों के साथ इंटरफ़ेस
- (क) जनसाधारण के साथ इंटरफेस
- (ख) पुलिस तथा अन्य संबंधित सरकारी विभागों के साथ संपर्क

- (vi) प्राइवेट सुरक्षा कार्मिक- क्या करना है और क्या नहीं करना है (आचरण नियम)
- (4) लाइसेंसधारी, नियंत्रक प्राधिकारी को लाइसेंस की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर अभिकरण बनाने वाले प्रत्येक व्यक्ति का नाम, माता–पिता का नाम, जन्म–तिथि, स्थायी पता, पत्राचार के लिए पता तथा प्रधानवृत्ति के बारे में सूचित करेगा।
- (5) लाइसेंसधारी, अभिकरण बनाने वाले व्यक्तियों के पते अथवा प्रबंधन में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के संबंध में, ऐसे परिवर्तन के तीस दिनों के भीतर नियंत्रक प्राधिकारी को सूचना देगा।
- (6) लाइसेंसधारी,नियंत्रक प्राधिकारी को प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण के रूप में कर्तव्यों के निर्वहन में,अभिकरण बनाने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध या अभिकरण द्वारा नियुक्त या नियोजित प्राइवेट सुरक्षा गार्ड या पर्यवेक्षक के विरूद्ध विरचित किए गए किसी आपराधिक आरोप के बारे में तत्काल सूचित करेगा। ऐसी संसूचना की एक प्रति उस पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को भी भेजी जाएगी जहां व्यक्ति जिसके विरूद्ध आरोप लगाया गया है, निवास करता है।
- (7) प्रत्येक लाइसेंसधारी निजी सुरक्षा गार्डों के लिए शारीरिक मानदंडों तथा इन नियमों में यथानिर्धारित, उनके प्रशिक्षण शर्तें जिन पर लाइसेंस प्रदान किया गया है, अपेक्षाओं का पालन करेगा।
- (8) इन नियमों में यथा उपबंधित को छोड़कर, लाइसेंस प्रदान करने के लिए संदत्त फीस अप्रतिदेय होगी।
- (9) लाइसेंसधारी, लाइसेंस प्राप्त करने के छह महीने के भीतर अपनी गतिविधियां आरंभ करेगा।
- (10) क्रियाकलापों के आरंभ किए जाने में, अधिनियम की धारा 9 की उप–धारा (3) के अंतर्गत यथा उपबंधित और नियम 10 के अनुसरण में कार्यालय परिसर की स्थापना और पर्यवेक्षकों की नियक्ति शामिल होगी।

5. लाइसेंस का नवीकरण-

- (1) प्रत्येक अभिकरण वैधता की अविध की समाप्ति की तिथि से कम से कम पैंतालीस दिन पूर्व और अिधनियम की धारा 8 की अन्य शर्तों का अनुपालन करने के पश्चात् प्रपत्र—II तथा प्रपत्र—III के साथ प्रपत्र—I में लाइसेंस के नवीकरण के लिए नियंत्रक प्राधिकारी को आवेदन करेगी।
- (2) यदि आवेदक कोई कंपनी, कोई फर्म या कोई व्यक्तियों का संघ है, तो कंपनी के प्रत्येक स्वत्वधारी या बहुसंख्यक शेयरधारक, भागीदार या निदेशक, जैसे कि वे भी आवेदक थे, के लिए प्रपत्र—I में आवेदन प्रपत्र—II के साथ होगा।
- (3) नियंत्रक प्राधिकारी आवेदक के पूर्ववृत्त का सत्यापन उसी तरीके से करेगा जैसा कि नियम 3 के उप–नियम (4) में यथा उल्लिखित है।
- (4) नियंत्रक प्राधिकारी, प्रपत्र—I में आवेदन की प्राप्ति के पश्चात् ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा वह आवश्यक समझे और अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन के पश्चात् प्रपत्र—IV में लाइसेंस के नवीकरण को प्रदान करेगा।
- (5) उपनियम (1) में उल्लिखित अवधि के भीतर लाइसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में, अभिकरण को लाइसेंस की समाप्ति के पश्चात गैर–लाइसेंस प्राप्त अभिकरण माना जाएगा।
- (6) लाइसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन करने की अवधि समाप्त होने के पश्चात्, अभिकरण अधिनियम की धारा 7 के अनुसार नए लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकती है।
- (7) लाइसेंस के नवीकरण के लिए प्रभार्य शुल्क वही होगा, जैसा कि लाइसेंस प्रदान करने के लिए नियम 3 के उप–नियम (6) में यथा उल्लिखित हो।
- (8) उपनियम (1) में उपदर्शित अविध के पश्चात् और लाइसेंस की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किए गए आवेदनों पर लाइसेंस के नवीकरण के लिए कार्य नहीं किया जाएगा।
- (9) नियंत्रक प्राधिकारी, सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन की प्राप्ति की तिथि से तीस दिनों के भीतर प्रपत्र—I में लाइसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन पर आदेश पारित करेगा।
- (10) नवीनीकृत लाइसेंस की वैधता की गणना पिछले लाइसेंस की समाप्ति की तिथि से की जाएगी और उसके नवीकरण की तिथि को ध्यान में रखे बिना पाँच वर्ष की अविध तक होगी। यदि विद्यमान लाइसेंस की समाप्ति के पश्चात् नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा आवेदन पर निर्णय लिया जाता है, तो मध्यवर्ती अविध को वैध लाइसेंस के अधीन समझा जाएगा।
- (11) नियंत्रक प्राधिकारी और प्राइवेट सुरक्षा अभिकरणों, मानव नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण, जिसमें सिविल या सैनिक प्राधिकारी के कृत्य, राष्ट्रीय आपात स्थिति, बलवा, दैवीकृत्य तक सीमित नहीं हैं, शामिल है, हुई देरी के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।

6. लाइसेंस के नवीकरण के लिए शर्तें-

लाइसेंस का नवीकरण निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान किया जाएगा, अर्थात्ः –

(i) आवेदक, नियंत्रक प्राधिकारी के क्षेत्राधिकार में अपने व्यवसाय के प्रधान स्थान को बनाए रखेगा;

- (ii) आवेदक अपने प्राइवेट सुरक्षा गार्डों तथा पर्यवेक्षकों के लिए इन नियमों के नियम 8 के उप—नियम (2) के अधीन अपेक्षित प्रशिक्षण की उपलब्धता सुनिश्चित करना जारी रखेगा;
- (iii) आवेदक लाइसेंस की शर्तों का पालन करना जारी रखेगा है;
- (iv) आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत नहीं है, जो अपराध और आपराधिक के डाटाबेस से सत्यापित किया जा सकता है;

7. प्राइवेट सुरक्षा गार्ड एवं पर्यवेक्षक के चरित्र और पूर्ववृत्त का सत्यापन –

- (1) अभिकरण, किसी भी व्यक्ति को सुरक्षा गार्ड या पर्यवेक्षक के रूप में नियोजित या नियुक्त करने से पूर्वस्वयं को निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक तरीके से ऐसे व्यक्ति के चरित्र और पूर्ववृत्तियों के बारे में संतुष्ट करेगी, अर्थात्:—
- (क) व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किए गए चरित्र और पूर्ववृत्त सत्यापन प्रमाण-पत्र पर निर्भर होकरः
- बशर्ते कि चरित्र तथा पूर्ववृत्त प्रमाण–पत्र वैध हो और अभिकरण के पास किसी अन्य स्रोत से व्यक्ति के चरित्र और पूर्ववृत्त के संबंध में कोई प्रतिकूल रिपोर्ट न हो;
- (ख) नियंत्रक प्राधिकारी या पुलिस के माध्यम से चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन हेतु अपराध और आपराधिक का इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस जैसे अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क तथा तंत्र (सीसीटीएनएस), अंतर—संचालन आपराधिक न्याय तंत्र (आईसीजेएस) के अभिगम द्वारा।
- (2) सुरक्षा गार्ड या पर्यवेक्षक के रूप में नियोजित या नियुक्त होने के इच्छुक व्यक्ति को अभिकरण को प्रपत्र—V जमा करना होगा। इसके अतिरिक्त, वह अधिनियम की धारा 10 की उप—धारा (2) में निहित उपबंधों के संबंध में विवरण शामिल करते हुए प्रपत्र —VI में एक शपथपत्र जमा करेगा।
- (3) चरित्र तथा पूर्ववृत्त के सत्यापन हेतु शुल्क दिल्ली पुलिस के पास ऑफ़लाइन/ऑनलाइन मोड में जमा किया जाएगा।
- (4) प्राधिकारी जिसको आवेदन किया गया है, सुनिश्चित करेगा कि चरित्र और पूर्ववृत प्रपत्र की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर चरित्र और पूर्ववृत सत्यापन रिपोर्ट जारी की गई हो।
- (5) एक बार जारी की गई चरित्र और पूर्ववृत सत्यापन रिपोर्ट नियोजक की परिस्थिति में परिवर्तन पर ध्यान दिए बिना पांच वर्षों तक वैध रहेगी।
- (6) अभिकरण, चरित्र और पूर्ववृत सत्यापन के आधार पर प्रपत्र—VII में चरित्र और पूर्ववृत प्रमाण—पत्र जारी करेगा और यह प्रमाण—पत्र ऐसे अभिकरण द्वारा वापस नहीं लिया जाएगा भले ही वह व्यक्ति उस अभिकरण का कर्मचारी न रहे।

8. सुरक्षा प्रशिक्षण:-

- (1) नियंत्रक प्राधिकारी, राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा के अनुसार, सुरक्षा गार्डों के प्रशिक्षण के लिए अपेक्षित विस्तृत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार करेगा। प्रारंभिक स्तर के लिए यह प्रशिक्षण न्यूनतम 20 कार्य दिवसों की अविध में दिया जाने वाला, न्यूनतम 100 घंटे की कक्षा में शिक्षण तथा 60 घंटे का फील्ड प्रशिक्षण होगा। तथापि, भूतपूर्व सैनिकों और पूर्व पुलिस कार्मिकों को न्यूनतम 7 कार्य दिवसों में दिया जाने वाला, न्यूनतम 40 घंटे की कक्षा में शिक्षण और 16 घंटे फील्ड प्रशिक्षण के केवल एक संघनित पाठ्यक्रम में भाग लेना अपेक्षित होगा;
- (2) प्रशिक्षण में निम्नलिखित विषय शामिल होंगे; अर्थात्:--
 - (क) जनता में आचरण और वर्दी को सही ढंग से धारण करना;
 - (ख) शारीरिक क्षमता प्रशिक्षण;
 - (ग) शारीरिक सुरक्षा, संपत्ति की सुरक्षा, भवन / अपार्टमेंट की सुरक्षा, कार्मिक सुरक्षा, घरेलू सुरक्षा;
 - (घ) अग्निशमन;
 - (ड़) भीड़ नियंत्रण;
 - (च) पहचान पत्र, पासपोर्ट तथा स्मार्ट कार्ड सहित पहचान कागजातों की जांच;
 - (छ) उम्मीदवार को अंग्रेजी अक्षरों तथा अरबी अंकों को पढ़ने और उन्हें समझने के योग्य होना चाहिए, जैसा कि सामान्यतः पहचान दस्तावेजों, शस्त्र लाइसेंस, यात्रा दस्तावेजों और सुरक्षा निरीक्षण शीट में आते हैं;
 - (ज) छुपी हुई विस्फोटक उपकरणों की पहचान;
 - (झ) प्राथमिक चिकित्सा;
 - (ञ) संकट से निपटना और आपदा प्रबंधन;
 - (ट) रक्षात्मक ड्राइविंग (सशस्त्र गाड़ियों के ड्राइवर के लिए अनिवार्य तथा दूसरों के लिए वैकल्पिक);
 - (ठ) अवर्जित आयुधों तथा अग्नेयास्त्र का उठाना–रखना और संचालन (वैकल्पिक);

- (ड) भारतीय दंड संहिता का प्रारंभिक ज्ञान, निजी प्रतिरक्षा का अधिकार, पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज कराने की प्रक्रिया, आयुध अधिनियम (केवल प्रभावी धाराएं), विस्फोटक अधिनियम (प्रभावी धाराएं);
- (ढ) पुलिस तथा सैन्य बलों के रैंक के बैज;
- (ण) जनता और पुलिस द्वारा प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के शस्त्रों की पहचान;
- (त) सुरक्षा उपकरण और युक्तियों का उपयोग (उदाहरण के लिए सुरक्षा अलार्म और स्क्रीनिंग उपकरण); और
- (थ) नेतृत्व और प्रबंधन (केवल पर्यवेक्षकों के लिए)।
- (3) सुरक्षा पर्यवेक्षक, सशस्त्र सुरक्षा तथा निहत्थे सुरक्षा गार्ड को नियंत्रक प्राधिकरी द्वारा विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करना होगा।
- (4) प्रशिक्षण के पूर्ण होने पर प्रत्येक सफल प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रपत्र—VIII में एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा।
- (5) एक राज्य में प्रशिक्षण संस्थान से गार्ड / पर्यवेक्षक को जारी किया गया प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र अन्य राज्य भी स्वीकार करेंगे।
- (6) नियंत्रक प्राधिकारी समय—समय पर या तो स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा प्रशिक्षण सुविधा के कृत्यों का निरीक्षण करेगा। सामान्यतः ऐसा निरीक्षण प्रतिवर्ष कम से कम दो बार किया जाएगा।
- (7) सभी प्रशिक्षण अभिकरणों, नियंत्रक प्राधिकारी को प्रत्येक बैच के पूर्ण होने के 30 दिनों के भीतर बैचवार प्रशिक्षित सुरक्षा गार्डों / पर्यवेक्षकों के विवरणों को आनलाइन / ऑफलाइन मोड में उनके प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र की प्रति के साथ जमा करेंगी।
- (8) प्रशिक्षण पूर्ण होने और रोजगार की अपेक्षा के आधार पर प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण स्वयं अपने को पदाभिहित कर सकेगें बशर्ते कि कोई भी एजेंसी सशस्त्र सेना, अर्ध—सैनिक बल या राज्य पुलिस बल के किसी रैंक को अंगीकृत नहीं करेगा।
- (9) नियंत्रक प्राधिकारी या तो स्वयं या अपने अधिकारियों के माध्यम से किसी प्राइवेट प्रशिक्षण अभिकरण के निजी सुरक्षा गार्डों और पर्यवेक्षकों को प्रदान किए गए प्रशिक्षण तथा कौशल को सत्यापित कर सकता है।
- (10) नियंत्रक प्राधिकारी ऐसे सुरक्षा अभिकरणों के लाइसेंस का जारी रखने या अन्यथा की समीक्षा कर सकता है जिन्होंने अपनी नामावली पर कार्मिकों के प्रशिक्षण की शर्तों का अनुपालन न किया हो।

9. सुरक्षा गार्डों के लिए शारीरिक मानदंड :--

- (1) कोई व्यक्ति सुरक्षा गार्ड के रूप में नियुक्त या नियोजित होने के लिए पात्र होगा यदि वह यथाविनिर्दिष्ट नीचे दिए गए शारीरिक मानदंडों को पूर्ण करता है :-
 - (i) कद 160 से0मी0 (महिला 150 से0मी0), वजन, कद—वजन की मानक सारणी के अनुसार, सीना 80 से0मी0 जो 4 से0म0 फुलना चाहिए। (महिलाओं के लिए सीना माप की कोई न्युनतम आवश्यकता नहीं है।)
 - (ii) नेत्र दृष्टि—दूर दृष्टि 6/6, निकट दृष्टि 0.6/0.6 चश्में अथवा इसके बिना, वर्णांधता से मुक्त, सुरक्षा उपकरणों के प्रदर्श में रंगों को विभेद और पहचान करने और प्रदर्श अंग्रेजी अक्षरों तथा अरबी के अंकों को पढ़ने और उन्हें समझने के योग्य होना चाहिए।
 - (iii) सहतजानुक और चिपटा पैर से मुक्त,तथा छह मिनट में एक किलोमीटर तक दौड़ने के योग्य होना चाहिए।
 - (iv) श्रवण : दोष से मुक्त हो; सुनने ओर बोलने की आवाज़ का उत्तर देने तथा सुरक्षा उपकरणों द्वारा उत्पन्न अलार्म पर प्रतिक्रिया करने के योग्य होना चाहिए।
 - (v) उम्मीदवार तलाशी लेने, वस्तुओं को हाथ में लेने और आवश्यकता पड़ने पर व्यक्तियों को रोकने के लिए बल प्रयोग करने के लिए कुशल और समर्थ होना चाहिए।
- (2) उम्मीदवार किसी छुआ—छूत की बीमारी अथवा संक्रामक बीमार के लक्षण से मुक्त होना चाहिए। वह ऐसी किसी बीमारी से ग्रस्त न हो जिसका उसकी सेवा के दौरान बढ़ने की संभावना हो या जिससे वह सेवा के लिए अनुपयुक्त हो जाए या जिससे जनता के स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न हो जाए।
- (3) अभिकरण एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि उसके लिए कार्यरत प्रत्येक प्राइवेट सुरक्षा गार्ड अपनी अंतिम स्वास्थ्य जांच के पश्चात् प्रत्येक 12 माह के बाद एक चिकित्सा जांच से गुजरे तािक उसके प्रवेश के समय यथानिर्धारित शारीरिक मानदंड का सतत् अनुरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।

10. पर्यवेक्षकों (सुपरवाइजरों) के लिए उपबंध:-

- (1) पंद्रह से अधिक प्राइवेट सुरक्षा गार्डों के कार्य का पर्यवेक्षण करने के लिए एक पर्यवेक्षक होगा।
- (2) प्राइवेट सुरक्षा गार्ड विभिन्न परिसरों में सुरक्षा ड्यूटी पर हैं, की दशा में और एक पर्यवेक्षक द्वारा उनके कार्य का पर्यवेक्षण करना व्यवहार्य न हो, तो अभिकरण अधिक संख्या में पर्यवेक्षकों को तैनात करेगी ताकि कम से कम प्रत्येक छह सुरक्षा गार्डी की सहायता, सलाह और पर्यवेक्षण के लिए एक पर्यवेक्षक उपलब्ध हो।

- 11. अपील और प्रक्रिया :— अधिनियम की धारा 14 की उप—धारा (1) के अधीन प्रत्येक अपील प्रपत्र—IX में की जाएगी और उस पर व्यथित व्यक्ति या उसके प्राधिकृत अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे तथा उसे राज्य सरकार के गृह सचिव को व्यक्तिगत रूप से या इलैक्ट्रानिकी या डिजीटल रूप में प्रस्तुत किया जाएगा या पंजीकृत डाक से भेजा जाएगा।
- 12. अभिकरण द्वारा रखे जाने वाले रिजस्टर:— अधिनिमय के अधीन अभिकरण द्वारा रखे जाने के लिए अपेक्षित रिजस्टर को इलैक्ट्रानिकी रूप में प्रपत्र—X में रखा जाएगा।

13. फोटो पहचान-पत्र :--

- (1) अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2) के अधीन अभिकरण द्वारा जारी प्रत्येक फोटो पहचान-पत्र प्रपत्र-XI में होगा।
- (2) फोटो पहचान–पत्र में पूरा चेहरे का रंगीन फोटो, प्राइवेट सुरक्षा गार्ड का पूरा नाम, अभिकरण का नाम तथा उस व्यष्टि की कर्मचारी संख्या होगी, जिसे फोटो पहचान–पत्र जारी किया गया है।
- (3) फोटो पहचान—पत्र में व्यष्टि की अभिकरण में प्रस्थिति और वह तिथि जिस तक फोटो पहचान—पत्र वैध है, स्पष्ट रूप से उपदर्शित होगी।
- (4) फोटो पहचान–पत्र हो अद्यतन रखा जाएगा और विवरणों में किसी परिवर्तन को उसमें दर्ज किया जाएगा।
- (5) प्राइवेट सुरक्षा गार्ड को जारी फोटो पहचान—पत्र को उसे जारी करने वाली अभिकरण को तब लौटा दिया जाएगा, जब निजी सुरक्षा गार्ड उसके द्वारा नियुक्त नहीं होता है अथवा नियोजित नहीं किया जाता है।
- (6) फोटो पहचान–पत्र के गुम हो जाने या चोरी हो जाने को उस अभिकरण की जानकारी में तत्काल लाया जाएगा, जिसने उसे जारी किया है।
- 14. लाइसेंस की अन्य शर्तें:— (1) इन बातों के होते हुए भी अभिकरण अपने निजी सुरक्षा गार्डों के लिए ड्यूटी पर वर्दी पहनना अनिवार्य करे, या न करे; प्रत्येक प्राइवेंट सुरक्षा अभिकरण अपने सुरक्षा गार्डों को—
 - (क) अभिकरण को सुभिन्न करने वाला बाजू पर पहनने वाला बैज;
 - (ख) संगठन में उसके पद को दर्शाने वाला कंधे या वक्ष बैज;
 - (ग) सीटी की डोरी से बंधी सीटी जो बांयी जेब में रखी जाए;
 - (घ) सूराख और फीते सहित जूते;
 - (ड़) सिर पर पहनने की टोपी जो अभिकरण का स्भेदक चिन्ह भी हो सकता है;

जारी करेगा तथा उन्हें पहनने के लिए बाध्यकर करेगा।

- (2) प्राइवेट सुरक्षा गार्ड, जब वह सक्रिय ड्यूटी पर हो, तो उसके द्वारा धारण किए जाने वाले वस्त्र ऐसे होंगे जो उसकी दक्षतापूर्ण प्रदर्शन में बाधा उत्पन्न न करें। विशेषकर, वे न तो बहुत तंग हों और न ही बहुत ढीले हों, जिससे उन्हें अपनी गतिविधियों या अंगों को मोडने में बाधा हो।
- (3) प्रत्येक प्राइवेट सुरक्षा गार्ड अपने साथ एक नोट-बुक और एक लेखन उपकरण रखेगा।
- (4) प्रत्येक प्राइवेट सुरक्षा गार्ड, जब वह सक्रिय सुरक्षा ड्यूटी पर हो, तो अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत जारी किए गए फोटो पहचान—पत्र को अपने शरीर पर कमर के स्तर से ऊपर सबसे बाहरी परिधान पर सुस्पष्ट तरीके से पहनेगा और प्रदर्शित करेगा।
- (5) नियंत्रक प्राधिकारी स्वयं या अपने अधिकारियों के माध्यम से, किसी भी समय, अभिकरण के परिसर में प्रवेश कर सकता है और व्यवसाय के स्थान, रिकॉर्ड, लेखों तथा लाइसेंस से जुड़े अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण और जांच कर सकता है तथा किसी भी प्रासंगिक दस्तावेज़ (दस्तावेज़ों) की प्रति रिकॉर्ड (रिकॉर्ड) के लिए ले सकता है।
- (6) अभिकरण इस संबंध में नियंत्रक प्राधिकारी के आदेशानुसार सुरक्षा गार्ड / सुरक्षा पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त व्यक्ति के विवरणों को त्रैमासिक या अर्धवार्षिक रूप में नियंत्रक प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी।
- 15. **निरसन और बचाव** दिल्ली प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) नियमावली, 2009 को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है: बशर्ते कि ऐसा निरसन —
 - (i) इस प्रकार निरस्त किए गए नियमों के अंतर्गत किया गया कोई भी कार्य या की गई कोई भी कार्रवाई को प्रभावित नहीं करेगा; या
 - (ii)इस प्रकार निरस्त किए गए नियमों के अंतर्गत उपार्जित या उपगत अर्जित दायित्व या देयता को प्रभावित नहीं करेगा: या
 - (iii) इस प्रकार निरस्त किए गए नियमों के अंतर्गत किए गए किसी भी अपराध के संबंध में लगाए गए जुर्माने, जब्ती या दंड को प्रभावित नहीं करेगा; या

(iv)उपरोक्तानुसार ऐसे दायित्व, देयता, जुर्माना, जब्ती या दंड के संबंध में कोई भी जांच, कानूनी कार्यवाही या उपाय को प्रभावित नहीं करेगा।

> राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

> > आशा चौधरी मल्होत्रा, अपर सचिव (गृह)

प्रपत्र-1

(नियम 3, नियम 5 देखिए)

	प्राइवेट सुरक्ष	ग अभिकरण	का व्यवसा	य करने वं	ने लिए	लाइसेंस	प्रदान	करने / लाइसेंस	नवीकरण	करने हे	तु आवेदन
सेवा मे	i,										
	नियंत्रक प्र	गाधिकारी,									

अद्योहस्ताक्षरी एतद्द्वारा प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण के क्षेत्र में सेवा करने के व्यवसाय को चलाने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने हेत् आवेदन करता है—

- 1. आवेदक का पूरा नामः
- 2. आवेदक की राष्ट्रीयताः
- पुत्र / पत्नी / पुत्रीः
- 4. निवास स्थान का पताः
- 5. पता, जहां आवेदक अपनी अभिकरण आरंभ करने का इच्छुक है :
- 6. प्राइवेट सुरक्षा अभिकरणका नाम :
- 7. प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण के अतिरिक्त ब्यौरे (यदि लागू हों):

(क) सीआईएन संख्या	:	
-------------------	---	--

- (ख) ईएसआई संख्या :
- (ग) ईपीएफ संख्या :
- (घ)श्रम लाइसेंस संख्या :
- (ड़) श्रम पंजीकरण संख्या :
- (च) जीएसटी संख्या :
- (छ) कोई अन्य सूचना :(ज) क्या अभिकरण के पास एफडीआई है (हां / नहीं) :.......

यदि हां, तो निम्नलिखित जानकारी दें:

- (i) एफडीआई का देश :
- (ii) विदेशी शेयरधारक का नाम :
- (iii) विदेशी शेयरधारक का पता :
- (iv) निवेश का वर्ष :
- (v) शेयरों की संख्या :
- (vi) विदेशी शेयर धारण की प्रतिशतता :
- (vii) एफडीआई के अनुमोदन के ब्यौरे :

(कृपया एफडीआई अनुमोदन के सुसंगत दस्तावेज संलग्न करें)

8. अभिकरण के स्वत्वधारी, भागीदार, बहुसंख्यक शेयर धारक, निदेशक और अध्यक्ष का नाम तथा पता :

क्र0सं0	प्रबंधन प्रकार	नाम	पता	डीआईएन संख्या	संख्या सहित
	(स्वत्वधारी, भागीदार,			(यदि हो)	पहचान का सबूत
	बहुसंख्यक शेयर धारक, निदेशक और अध्यक्ष				

					- 7/	
9.	उपलब्ध	स्विधाओं	का	नाम	आर	ातरतार.
J.	010100	भूगवनाजा	971	11.1	VII (19 ((11 ()

10.	(क) क्या आवेदक के पास स्वयं की प्रशिक्षण सुविधा है या क्या वह इसे आउटसोसिंग आधार पर लेगा?
	(ख) यदि वह आवेदक के पास स्वयं की प्रशिक्षण सुविधा है तो कृपया निम्नलिखित सूचना दें।
	प्रशिक्षण अभिकरण का नाम :
	प्रशिक्षण अभिकरण का पता :
	प्रमिक्रमा अभिक्रमा की मानाता के होंगे :

- 11. सुरक्षा सेवाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले उपस्कर
 - (क) डोर फ्रेम्ड मेटल डिटेक्टर (डीएफएमडी)
 - (ख) हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर (एचएचएमडी)
 - (ग) माइन डिटेक्टर
 - (घ) अन्य उपस्कर
 - (i) बेतार दूरभाष
 - (ii) अलार्म युक्तियां
 - (iii) बख्तरबंद वाहन
 - (iv) आयुध
- 12. वर्दी की विशिष्टयां, जिसके अंतर्गत उसका रंग भी है (कृपया वर्दियों का रंगीन फोटो संलग्न करें)।
- 14. क्या आवेदक संपूर्ण राज्य से प्रचालन करने का प्रयोजन रखता हैं? हां / नहीं

हस्ताक्षर आवेदक का नाम आवेदक का पता आवेदक की दूरभाष संख्या आवेदन का तिथि

संलग्नकः

- 1. अभिकरण के परिसर की फोटो।
- 2. सभी प्रबंधकीय कार्मिकों की पहचान का सबूत।
- 3. प्रशिक्षण अभिकरण की मान्यता के ब्यौरे (यदि लागू हो)।
- 4. वर्दियों का रंगीन फोटो।
- 5. ऊपर पैरा ७ में दिए गए अभिकरण ब्यौरों के अधीन दस्तावेज (यदि लागू हों)।
- वर्तमान आयकर समाशोधन प्रमाणपत्र की प्रति।
- 7. अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) में यथाविहित शपथ-पत्र।
- 8. अन्य संलग्नक।

प्रपत्र–II

(नियम 3 और 5 देखिए)

आवेदक के पूर्ववृत्त के सत्यापन हेतु प्रपत्र

टिप्पण : यदि आवेदक कोई कंपनी, कोई फर्म, कोई व्यक्तियों का संघ है तो यह प्रपत्र कंपनी के प्रत्येक स्वत्वधारी या बहुसंख्यक शेयरधारक, भागीदार या निदेशक, जैसे कि वे भी आवेदक है, द्वारा भरा जाएगा।

आवेदक	के हस्ताक्षर
केवल क	ार्यालय के उपयोग हेतु
प्रपत्र संर	ब्यापूर्ववृत्त सत्यापन जारीकर्ता : तिथि
शुल्क रार्वि	शि रुमांगदेय ड्राफ्ट सं0मांगदेय ड्राफ्ट र्सं0
जारी कर	रने की तिथि
कृपया स जानकारी	पष्ट अक्षरों में भरें : (सावधान : कृपया सही सूचना प्रस्तुत करें। प्रपत्र में गलत सूचना देने अथवा किसी भी तथ्यात्मक । को छिपाने पर उम्मीदवार लाइसेंस प्रदान करने के लिए अनुपयुक्त ठहराया जाएगा।)
1.	आवेदक का (आद्याक्षर अनुज्ञात नहीं है)
	अंतिम नाम प्रथम नाम प्रथम नाम
2.	यदि आपने अपने नाम में कभी कोई परिवर्तन किया है, तो कृपया पिछले पूरे नाम (नामों) का उल्लेख करें
3.	लिंग (पुरुष / महिला)
4.	जन्म तिथि (तिथि / मास / वर्ष)
5.	आधार संख्या
6.	पैन संख्या
7.	जन्म का स्थान–गांव/कस्बा
	जिलाराज्य और देश
8.	पिता का पूरा नाम / विधिक संरक्षक का पूरा नाम : (उपनाम सिहत, यदि कोई हो)(आद्याक्षर अनुज्ञात नहीं है)
9.	माता का पूरा नाम (उपनाम सहित, यदि कोई हो) : (आद्याक्षर अनुज्ञात नहीं है)
10.	यदि विवाहित है तो पति / पत्नी का पूरा नाम(उपनाम सहित, यदि कोई हो) : (आद्याक्षर अनुज्ञात नहीं है)
11.	वर्तमान आवासीय पता, गली सं० / पुलिस थाना, ग्राम तथा जिला सहित (पिन कोड सहित)
	दूरभाष संख्या, मोबाइल संख्या
12.	उपर्युक्त पते पर किस तिथि से निवास कर रहे हैं, लिखिए : (तिथि/मास/वर्ष)
13.	स्थायी पता, गली सं० / पुलिस थाना / ग्राम और जिला सहित / (पिन कोड सहित)
1/1	यदि आपने स्तंभ (11) में दिए गए पते पर निंरतर विगत पांच वर्ष तक निवास नहीं किया है तो कृपया अवधि सहित
17.	निवास का अन्य पता (पते)का उल्लेख करें :
	दिनांकसे दिनांकतक पता

	•	निवास किया हो								
16.	अन्य ब्यौरे :	 .								
	(क) शैक्षणिक अर्हत									
	. ,	ज्स पद पर रहे हों तो नियोक्ता 	िका नाम आर पता :							
	()	न छोड़ने का कारण :								
	,	दक पहचान चिह्न :								
	` '	(ड) पिछले तीन वर्ष की आयकर विवरणी :								
	क्रम संख्या	निर्धारण वर्ष	आईटीआर की प्रति संलग्न है(हां / नहीं)							
	1.									
	2.									
	3.									
	क्या आपने किसी प्र	प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण को पह	र शपथ—पत्र संलग्न है : हां / नहीं हले परिचालित किया था या इसके भागीदार बहुसंख्यक शेयर व पता और इसके लाइसेंस का विवरण दें।							
	थी तो कृपया पूर्व न	नागरिकता का उल्लेख करें	द्वारा भारत के नागरिक हैं। यदि आप के पास अन्य कोई नागा							
19.			iडिक अपराध के लिए दोषसिद्ध और कारावास में दंडादिष्ट कि या, और अपराध का विवरण दीजिए (निर्णय की प्रति संलग्न करें 							
20.			में कोई दांडिक अपराध की कार्यवाही लंबित है? यदि ऐसा वेवरण दीजिए।							
21.	स्वतः घोषणाः									
	इस प्रपत्र तथा संल	ग्नों में मेरे द्वारा दी गई सूचना	सही है और मैं इसकी सत्यता के लिए पूर्णतः उत्तरदायी हूँ।							
			(आवेदक के हस्त	ताक्षर)						
	तिथिः									
	स्थान									
	संलग्नक :									
			(आवेदक के हस्त	ताक्षर)						
				,						
		Я	учя—III	,						
				,						
		[नियम 3(2)	/नियम 5(1) देखिए]	,						
	में मेसर्स	[नियम 3(2), १ पुत्र / पुत्री / पत्नी / श्री /	/नियम 5(1) देखिए] शपथ—पत्र / सुश्री	,						
	मैसर्स	[नियम 3(2), १ / पुत्री / पत्नी / श्री (फर्म / अभिकरण / कंपनी का पता) का स्वत्वधारी	/नियम 5(1) देखिए] शपथ–पत्र							
	मैसर्स(फर्म / अभिकरण / व प्रतिज्ञान और घोषण	[नियम 3(2), १ / पुत्री / पत्नी / श्री (फर्म / अभिकरण / कंपनी का पता) का स्वत्वधारी	/ नियम 5(1) देखिए] शपथ–पत्र / सुश्रीनिवासी / कंपनी का नाम)स्थित							

3. यह कि स्वत्वधारी / भागीदारों / निदेशकों के ब्यौरे (कृपया सभी भागीदारों / निदेशकों के ब्यौरे का उल्लेख करें) निम्नानुसार है:

क्रम संख्या	स्वत्वधारी/भागीदारों/निदेशकों के नाम	फर्म / अभिकरण / कंपनी का पदनाम	निवास का पता
		(स्वत्वधारी / भागीदार / निदेशक)	

- 4. यह कि अभिसाक्षी या कोई स्वत्वधारी/भागीदार/निदेशक किसी कंपनी के प्रचार, गठन, प्रबंधन के संबंध में किसी अपराध के लिए (फर्म/अभिकरण/कंपनी के संबंध में उसके द्वारा की गई कोई धोखाधड़ी या दुराचार) सिद्धदोष नहीं ठहराया गया है जिसके अंतर्गत अनुन्मोचित दिवालिया भी है।
- 5. यह की अभिसाक्षी या कोई स्वत्वधारी / भागीदार / निदेशक किसी अपराध के लिए सक्षम न्यायालय द्वारा सिद्धदोष नहीं ठहराया गया है, जिसके लिए विहित दंड दो वर्ष से कम का कारावास नहीं है।
- 6. यह कि अभिसाक्षी या कोई स्वत्वधारी/भागीदारी/निदेशक-
 - (क) किसी संगठन या संघ से संबंध नहीं रखते है जिनको उनके क्रियाकलापों जो राष्ट्रीय सुरक्षा या लोक व्यवस्था के लिए संकट खड़ा करते हैं, के कारण किसी विधि के अधीन प्रतिबंधित किया गया गया है: या
 - (ख) ऐसे क्रियाकलापो में संलिप्त नहीं है जो राष्ट्रीय सुरक्षा या लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालते है।
- 7. यह कि अभिसाक्षी या कोई स्वत्वधारी/भागीदार/निदेशक कदाचार या नैतिक अधमता के आधार पर सरकारी सेवा से पदच्युत या हटाया नहीं गया है।
- 8. यह कि फर्म / अभिकरण / कंपनी भारत में पंजीकृत है और उसके पास स्वत्वधारी या बहुसंख्यक शेयरधारक भागीदार या निदेशक नहीं है, जो भारत का नागरिक नहीं है।
- 9. यह कि अभिसाक्षी और फर्म/अभिकरण/कंपनी के सभी भागीदार/निदेशक उसके यथा विहित निजी सुरक्षा गार्डी और पर्यवेक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करके/उन्हे ऐसा प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करके प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 (2005 का 29) की धारा 9 की उपधारा (2) के उपबंधों का अनुपालन करेंगे।
- 10. यह कि अभिसाक्षी और फर्म/अभिकरण/कंपनी के सभी भागीदार/निदेशकप्राइवेट सुरक्षा अभिकरण(विनियमन) अधिनियम, 2005 (2005 का 29) की धारा 11 के अधीन यथानिर्धारित लाइसेंस की निम्नलिखित शर्तों को पूरा करेंगे—
 - (i) विहित प्रशिक्षण जिसे लाइसेंसधारी को करना है।
 - (ii) अभिकरण बनाने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के ब्यौरे।
 - (iii) नियंत्रक प्राधिकारी को समय समय पर अपने पते, प्रबंधन के किसी परिवर्तन के संबंध में सूचना देने की बाध्यता।
 - (iv) नियंत्रक प्राधिकारी को समय समय पर उनके द्वारा नियोजित या नियुक्त, यथास्थिति प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण या प्राइवेट सुरक्षा गार्ड के कर्तव्यों के निष्पादन के दौरान उनके विरुद्व किसी भी दांडिक आरोप के संबंध में सूचना देने की बाध्यता।
 - (v) राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में सक्षम प्राधिकारी अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण द्वारा अपेक्षित प्रशिक्षण दिए जाने के बारे में सत्यापन कर सकता है, और ऐसे प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण कि जिसने अपेक्षित प्रशिक्षण सुनिश्चित करने की शर्तों का पालन नहीं किया हो तो लाइसेंस को जारी रखने या अन्यथा की समीक्षा कर सकता है।
- 11. यह कि अभिसाक्षी के विरूद्ध पुलिस द्वारा कोई मामला पंजीकृत नहीं किया गया है या कोई मामला न्यायालय में लंबित नहीं है।

	यह कि अभिसाक्षी के विरूद्ध पुलिस द्वारा कोई मामला पर्जीकृत किर लंबित है। (ब्यौरों को संलग्न करें)	या गया है या कोई मामला न्यायालय में
12	. यह कि अभिसाक्षी और फर्म/अभिकरण/कंपनी के सभी भागीदार/नि सुरक्षा अभिकरण(विनियमन) अधिनियम, 2005 (2005 का 29) और इस राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा अधिसूचित सुसंगत नियमों के उपबधों का अक्ष नाम एवं शीर्षक वाले प्राइवेट सुर अधिनियम के अधीन नियुक्त नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर र	अधिनियम के अधीन राज्य सरकार / संघ रशः अनुपालन करेंगे और मैसर्स क्षा अभिकरण का प्रबंध करते हुए इस जारी अनुदेशों का भी अनुपालन करेंगे।
		अभिसाक्षी
	सत्यापनः— मैंएतद् द्वारा तिथिएतद् द्वारा तिथिएतद् द्वारा तिथि क्रियार सत्य यह शपथ—पत्र उपर्युक्त अंतर्वस्तु मेरे वैयक्तिक ज्ञान के अनुसार सत्य कोई बात छिपाई नहीं गई है।	को सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि एवं सही है और विश्वास करें कि इसमें
		अभिसाक्षी
	टिप्पणः (i) बिंदु संख्या 4 से 8 अधिनियम की धारा 6 के अनुपालन से	संबंधित है।
	(ii) बिंदु संख्या 9 अधिनियम की धारा 9(2) के अनुपालन से स	ंबंधित है।
	(iii) बिंदु संख्या 10 और 11 अधिनियम की धारा 11 के अनुपा	लन से संबंधित है।
	(iv) बिंदुओं को हटा दें जो लागू नहीं होते है।	
	учя–IV	
	(नियम देखें 3(10) देखिए)	
	सरकार	
	प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का व्यवसाय करने का ल	गइसेंस
क्रम संख्या		
तिथि		
प्राइवेट सुरक्ष	।। अभिकरण का नाम	
श्री	(आवेदक का नाम)	
पुत्र / पुत्री	्निवासी(प	रूरा पता)
	को को (कार जिले / राज्य जो (अनुपयुक्त शब्दों को हटा दें) में प्राइवेट सुरक्षा अभि	
	राज्य के नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा लाइसेंस प्रदान किया जाता है	
• •	का स्थान	
जारी करने	की तिथि	
यह लाइसेंस	तक वैध है।	
		हस्ताक्षर
		नवीकरण प्राधिकारी का नाम
		पदनाम
		कार्यालय का पता
	नवीकरण	
	(नियम 5(4)देखिए)	
क्र0सं0	नवीकरण की तिथि	समाप्ति–तिथि
1.		
2.		
3.		
4.		

हस्ताक्षर

नवीकरण प्राधिकारी का नाम

पटनाम

कार्यालय का पता

प्रपत्र-v

(नियम 7(2)देखिए)

सुरक्षा गार्ड और पर्यवेक्षक के चरित्र और पूर्ववृत के सत्यापन हेतु प्रपत्र

	द्वारा उपयोग के लिए ————————————————————————————————————		
प्रप	त्र संख्या	चरित्र और पूर्ववृत सत्यापन जारीकर्ता	तिथि
शुल्क राशि रु. सं0	नकद / मांग जारी करने की तिथि	देय ड्राफ्ट बैंक का नाम	मांगदेय ड्राफ्ट
कृपया स्पष्ट अक्ष जानकारी को छि	ारों में भरे : (सावधानः व पाने पर उम्मीदवार प्राइ	pृपया सही सूचना प्रस्तुत करें। प्रपत्र में गलत सूच वेट सुरक्षा अभिकरण में नियोजन ∕ नियुक्त होने के	ना देने अथवा किसी भी तथ्यात्मक लिए अनुपयुक्त ठहराया जाएगा)
1.	आवेदक का नाम जैर	ता फोटो पहचान पत्र में प्रतीत हो (आद्याक्षर अनुज्ञा	ात नहीं है)
अंतिम	नाम	प्रथम नाम	
2.	यदि आपने अपने ना	म में कभी कोई परिवर्तन किया है, तो कृपया पिछर	ने पूरे नाम (नामों) का उल्लेख करें
3	लिंग (पुरुष / महिला)		
4.	जन्म–तिथि (तिथि / म	nस / वर्ष)	
5.	आधार संख्या		
6.	जन्म का स्थान–गांव,	/ कस्बाराज्य और	देश
7.	-	वेधिक संरक्षक का पूरा नाम(उपनाम सहित, यदि व	र्गेई हो) : (आद्याक्षर अनुज्ञात नहीं है _.
8.	माता का पूरा नाम (च	पनाम सहित, यदि कोई हो) : (आद्याक्षर अनुज्ञात	नहीं है)
9.	यदि विवाहित है तो प	ाति / पत्नी का पूरा नाम(उपनाम सहित, यदि कोई	हो) : (आद्याक्षर अनुज्ञात नहीं है)
10.	वर्तमान आवासीय पत	ा, गली सं0 / पुलिस थाना, ग्राम तथा जिला सहित	(पिन कोड सहित)
	दूरभाष संख्या, मोबाइ	ल संख्या	
11.	उपर्युक्त पते पर किस	। तिथि से निवास कर रहे हैं, लिखिए : (तिथि / मा	स / वर्ष)
12.	स्थायी पता, गली सं0	/पुलिस थाना/ग्राम और जिला सहित/(पिन को	।ड सहित)
			0 0 4 1
13.		। में दिए गए पते पर निंरतर विगत पांच वर्ष तक । य पता (पते)का उल्लेख करें :	<u>।नवास नहा ।कया ह ता कृपया अव</u>

दिनांक	से दिनांक	तक	पता
14.	विदेश में निवास के मामले में, आपने एक वर्ष से अधिक निव	इक्कीस व गस किया ह	र्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात उन सभी स्थानों का विवरण जहाँ हो
15.	अन्य ब्योरे:–		
	(क) शैक्षिक अर्हताएं :		
	(ख) पूर्व में यदि किसी पद प	र रहे हों ते	ा, नियोक्ता का नाम और पता :
	(ग) पिछले नियोजन छोड़ने	का कारण .	
	(घ) शरीर पर विभेदक पहचा	न चिह्न	
	(ड़) ऊँचाई से0मी0		
	(च) अधिनियम की धारा 10(I) और (2)	के उपबंधों को सम्मिलित करते हुए शपथ-पत्र संलग्न हैः हां/नहीं
16.	क्या आप केन्द्रीय सरकार/रा	ज्य सरकार	/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/कानूनी निकाय में सेवारत है : हां/नहीं
17.			ोकरण द्वारा भारत के नागरिक हैं। यदि आप के पास अन्य कोई का उल्लेख करें
18.	कारावास से दंडविष्ट किए ग	ए है? यदि	ारा कोई दांडिक अपराध की कार्यवाही के लिए दोषसिद्ध और ऐसा है तो न्यायालय का नाम, वाद संख्या और अपराध का विवरण
19.			
20.	आपको बाहर जाने पर रोक	लगाने के वि	ा उपस्थिति के लिए समन या गिरफ्तारी के वारंट अथवा भारत से लेए एक आदेश जारी किया गया है? यदि ऐसा है तो न्यायालय का ा दीजिए
21.	स्वतः घोषणाः		
	इस प्रपत्र तथा संलग्नों में मेरे	द्वारा दी ग	ई सूचना सही है और मैं इसकी सत्यता के पूर्णतः उत्तरदायी हूं।
22.	अंगुलियों के निशान :		
			(आवेदक के हस्ताक्षर)
	तिथि		
	स्थान		
	संलग्नक		
			(आवेदक के हस्ताक्षर)

yч π –VI

[नियम ७(२) देखिए]

			शप	थ–पत्र	
में		पुत्र / पुत्री /	पत्नी श्री / सुश्री		निवासी
	(आवासीय पता)	प्राइवेट सुरक्षा अ	भिकरण मैसर्स		(फर्म / अभिकरण / कंपनी का नाम) स्थित
के का	में गेतनगार के वि	 जेग ज्यमं प्रकाणना	(फर्म ਨਰਗ ਵੱਧ ਸੈਂ ਸਰਟ	/अभिकरण / कंपनी टाग सहानिष्टा से	का पता) में प्राइवेट सुरक्षा गार्ड / पर्यवेक्षक निम्नानुसार प्रतिज्ञान तथा घोषणा करता
क् :-	ग राजागार प्राप्त	गुर्भिक्ष प्रस्थानमा	परता है। न रतप्	श्वारा राखानका रा	मिलानुसार श्रास्त्राम स्वा वावना करसा
1.	यह कि मैं भार	त का नागरिक हूं।			
2.			कर ली है लेकिन	65 वर्ष की आय प्र	र्ग नहीं की है। मेरी जन्म–तिथि
	है।	3 6		3 6	
3.	यह कि मुझे वि	bसी सक्षम न्यायाल [्]	य द्वारा दोषसिद्ध न	हीं किया गया है।	
4.					सरकार या राज्य सरकारों या किसी प्राइवेट र पर पदच्युत या हटाया नहीं गया है।
					अभिसाक्षी
	करता हूं कि इ	 इस शपथ–पत्र में उ छिपाया नही गया है	प्रपर दी गई अंतर्वर	 नु मेरे सर्वोत्तम ज्ञाः	को एतद् द्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान न में सत्य और सही है तथा विश्वास करे कि
					अभिसाक्षी
	की जागरूकता	के लिए शपथ-पर	त्र के पृष्ठभाग पर ग्	नेयम, 2005 (2005 नुद्रित किए जाए, जे	का 29) की धारा 10(2) के उपबंध अभिसाक्षी ो निम्न प्रकार है—
		गार्ड होने के लिए			
	राज्य पुलिस स कदाचार या नै	ांगठन, केन्द्रीय सरव	कार या किसी राज्य गधारों पर सेवा में	। सरकार या किसी पदच्युत किया गया	या जिसे संघ के किसी सशस्त्र बल, किसी प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण में, सेवा करते समय है या हटाया गया है;प्राइवेट सुरक्षा गार्ड या
			प्रपत्र	–VII	
			(नियम 7	' (6) देखिए)	
			चरित्र और पू	र्ववृत्त प्रमाण–पत्र	
(यह प्रम किया ग		सुरक्षा अभिकरण (f	वेनियमन) अधिनिय	न, 2005 के नियम ग	में सम्मिलित किए गए उपबंधों के अधीन जारी
	प्रमाणित किया	जाता है कि श्री/	सुश्री	पुत्र / पु	त्री ट यह आवेदक पिछले एक वर्ष से निम्न पते
जिसका पर लग	विवरण निम्नर्ला ।तार निवास कर	खेत है, अच्छे नैतिव रहा है :–	क चरित्र और अर्च्छ	ो ख्याति का है और	यह आवेदक पिछले एक वर्ष से निम्न पते
जन्म–ित	तथि :				
जन्म–र	थान :				
शैक्षिक	अर्हता :				
व्यवसाय	Ι:				
वर्तमान	पता :				
स्थायी ।	पता :				
तिथि से	यह प्रमाण–पत्र । पाँच वर्ष की अ	(प्रमाण–पत्र के स्रे वधि तक वैध होगा	ोत) I	के आधार पर	जारी किया गया है और यह जारी करने की
					जारीकर्ता प्राधिकारी :
					हस्ताक्षर :
					नाम :
					पदनामः
					पता / दूरभाष सं0ः
जारी क	रने की तिथि :				

तिथि : स्थान :

प्रपत्र-VIII

(नियम 8(5)देखिए)

प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र

क्रम संख्या			
	प्रशिक्षण	ा अभिकरण का नाम	
	प्रशिक्षण	ा अभिकरण का पता	
	प्रशिक्षण	अभिकरण मान्यता संख्या	
	[इस अभिकरण की मान	यता तिथि तक वैध है।]	
	0 0 . 0	. 0 0	0.0
प्रमाणित किया जाता ह	कि श्रा / सुश्रा 	पुत्र / पुत्री श्री से प्राइवेट सुरक्षा गार्ड / पर्यवेक्षक के रूप	ानवासा तक राष्ट्रीय
कौशल अर्हत ढांचा (एन एस क्यू प जाने के लिए निर्धारित प्रशिक्षण पू	एफ) के मानक अनुसार रा कर लिया है।	प्राइवेट सुरक्षा गार्ड / पर्यवेक्षक के रूप	में नियुक्ति या काम पर रखे
उसके हस्ताक्षर नीचे साक्ष्यांकित है	I		
प्रमाण–पत्रधारी के हस्ताक्षर			
			जारीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर
			पदनाम
जारी करने का स्थान :			
जारी करने की तिथि :			
	10	учя–IX	
	•	ायम 11 देखिए)	
		ल के लिए प्रपत्र	
अधिनियम की धारा 14 के अधीन			
अपीलकर्ता			
पुत्र / पुत्री	ानवासा		
बनाम			
नियंत्रक प्राधिकारी			, , ,
अभिकरण	क के प्रच	(नियंत्रक प्राधिकारी) गलन के लिए लाइसेंस अस्वीकार वि	क आदश आर प्राइवट सुरक्षा केए जाने के आदेश के विरूद्ध
उपर्युक्त अपीलकर्ता	(राज्य के गृह	सचिव) को अपील करते है, तथा आ	देश अपील के विरूद्ध आपति के
निम्न आधार दिए गए हैं :-			
1			
2			
3			
4			
संलग्नक दस्तावेजों की सूचीः			
			हस्ताक्षर
			अपीलकर्ता का नाम व पदनाम

yи π –X

(नियम 12 देखिए)

विशिष्टियां-रजिस्टर

(रजिस्टर-क : प्रबंधन विवरण)

क्र0सं0	अभिकरण का प्रबंध देखने वाले व्यक्ति व्यक्तियों) के नाम	माता-पिता / पिता का नाम	वर्तमान पता और दूरभाष संख्या	स्थायी पता	राष्ट्रीयता	अभिकरण में नियुक्ति / छोड़ने की तिथि
1.						

(रजिस्टर-ख: प्राइवेटसुरक्षा गार्ड तथा पर्यवेक्षक)

क्र0सं 0	गार्ड / पर्यवेक्ष क का नाम	पिता का नाम	वर्तमा न पता ओर दूरभाष संख्या	अभिकरण में नियुक्ति / छोड़ने की तिथि	स्थायी पता	फोटोग्राफ	अंगुलियों के निशान	कर्मचार ी संख्या	तिथि सहित वेतन, ईएसआई, ईपीएफ संख्याएं और बैंक / शाखा जिसके माध्यम से संदत्त है।
1.									
2.									

(रजिस्टर-ग: ग्राहक)

क्र0सं0	ग्राहक का नाम और फोन नंबर	स्थान का नाम जहां सुरक्षा प्रदान की जाती है।	उपलब्ध कराए गए सुरक्षा गार्ड की संख्या और रैंक	सेवा प्रारंभ करने की तिथि	सेवा समाप्त की तिथि

(रजिस्टर–घ :ड्यूटी रोस्टर)

क्र0सं0	प्राईवेट सुरक्षा गार्ड / पर्यवेक्षक का नाम	ड्यूटी स्थान का पता	क्या कोई शस्त्र / गोला बारूद उपलब्ध कराये गये हैं	ड्यूटी प्रारंभ करने की तिथि एवं समय	ड्यूटी समाप्ति की तिथि एवं समय

yyz = XI

(नियम 13 देखिए)

प्राइवेट सुरक्षा गार्ड / पर्यवेक्षक के लिए फोटो पहचान-पत्र

(प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का नाम)

पहचान-पत्र सं0				
नाम				
कार्यालय पदनाम	रंगीन फोटो			
कर्मचारी संख्या				
रक्त समूह				
जारी करने की तिथि				
तक वैध है।				
पहचान—पत्रधारक के हस्ताक्षर				
जारीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर				
कार्यालय की मोहर				

HOME POLICE ESTABLISHMENT) DEPARTMENT NOTIFICATION

Delhi, the 5th January, 2024

No. 14/705/2725/2021/HP-II/PSC/5744-5750.—In exercise of the powers conferred by section 25 read with clause (i) of section 2 of the Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005 (29 of 2005) and in supersession of the Delhi Private Security Agencies (Regulation) Rules, 2009 published vide Notification No.F.5/72/2005/HP-1/Estt./2901-2908 dated 08.10.2009, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby makes the following rules, namely:-

- 1. Short title and commencement.
 - (1) These rules may be called the Delhi Private Security Agencies (Regulation) Rules, 2023.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Gazette.
- **2. Definitions.** In these rules, unless the context otherwise requires-
 - (a) "Act means the Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005 (29 of 2005);
 - (b) "Agency" means a private security agency;
 - (c) "Appellate Authority" means the Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary in the Home Department of the Government of National Capital Territory of Delhi.
 - (d) "Controlling Authority" shall have the same meaning as assigned to it in clause (b) of section 2 of the Act;
 - (e) "District" means a district constituted under clause (a) of section 10 of the Delhi Police Act, 1978 (34 of 1978);
 - (f) "Form" means, a Form appended to these rules;
 - (g) "Government" means the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi appointed by the President under article 239 and designated as such under article 239 AA of the Constitution;
 - (h) "Licence" means a licence granted under the Act;
 - (i) words and expressions not defined in these rules but defined in the Act, shall have the same meaning respectively assigned to them in the Act.

3. Application for grant of license:-

- (1) Every agency while making an application in Form I to the Controlling Authority for the grant of licence shall also enclose the Form II for verification of his antecedents.
- (2) If the applicant is a company, a firm or an association of persons, the application in Form I shall be accompanied by Form II for every proprietor or majority shareholder, partner or director of the company, as if they were also the applicants. In addition, he shall submit an Affidavit in Form III incorporating the details in relation to the provisions contained in sub-section (2) of section 7 of the Act.
- (3) On receipt of Form I, Form II, Form III, the Controlling Authority shall make such inquiries, as it considers necessary to verify the contents of the application and the particulars of the applicant.
- (4) The Controlling Authority shall utilise electronic databases of crime and criminals like the Crime and Criminal Tracking Networks and Systems (CCTNS), Interoperable Criminal Justice System (ICJS) for the purpose of verification of antecedents of the applicant.
- (5) Wherever any applicant's antecedents have been verified in any other State earlier and licence is granted, it shall not be necessary for the Controlling Authority to verify the antecedents afresh provided that the licence for which antecedents are verified is under period of validity.
- (6) Form I shall be accompanied by a demand draft or banker's cheque or electronic evidence showing the payment of fees as prescribed under sub-section (3) of section 7 of the Act, payable to the Controlling Authority of the State concerned where the application is being made.
- (7) The application referred to in sub-rule (1) shall be either personally delivered to the Controlling Authority or sent to him by registered post or through electronic means.
- (8) On receipt of the application referred to in sub-rule (1), the Controlling Authority shall after noting thereon the date of receipt by him of the application, grant an electronic or digital acknowledgement to the applicant.
- (9) The Controlling Authority, after receiving an application in Form I shall grant a licence to the private security agency in Form IV after making such enquiry as it considers necessary, and after compliance with the provisions of the Act:
 - Provided that if the private security agency has already obtained a licence from the Controlling Authority of any other State then requirement of training of the licensee shall not be necessary.
- 10) The Controlling Authority either by itself or through its officer or any other means shall verify the premises of the private security agency at the address or addresses provided by the agency.
- 11) The Controlling Authority shall cause a physical copy of the licence to be delivered by post within fifteen days of issue to the principal office of the private security agency in the State concerned as mentioned in the application for grant of licence which the private security agency shall be bound to display at its place of business.
- 12) In case of rejection of the application for grant of licence, no order of refusal shall be made unless,-
 - (a) the applicant has been given a reasonable opportunity of being heard; and
 - (b) the grounds on which licence is refused is mentioned in the order.
- (13) The Controlling Authority shall pass an order on Form I within sixty days from the date of receipt of it complete in all respects.
- (14) The Agency shall not use in its name or logo or emblems words like "Indian", "National" or any other such words, which give the impression of any Government patronage; abiding by all such restrictions stipulated in any other prevailing law."

4. Conditions for grant of license. -

- (1) The licensee shall successfully undergo a training relating to the private security as prescribed by the Controlling Authority within the time frame fixed by it.
- (2) The Controlling Authority shall frame the detailed training syllabus required for training the licensee.
- (3) The training shall be for a minimum period of six working days. The training shall broadly include the following subjects, namely;-
 - (i) Present security scenario:
 - (a) VIP Security

- (b) Internal Security
- (c) Institutional Security;
- (ii) Role and Functioning of Private Security Agencies:
- (a) Fire Fighting
- (b) Disaster/ Emergency Management protocol
- (c) Security Duties
- (d) Checking of various documents
- (e) Information security
- (f) Access Control
- (g) Explosives, IEDs
- (h) Anti Sabotage Checks (ASC)
- (i) Security related equipments
- (j) Communication Equipments
- (k) Patrolling
- (1) Post duties
- (iii) Legal provisions:
- (a) The Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005 (29 of 2005) and its associated State Rules.
- (b) Relevant Labour Laws
- (iv) Management of Security Agencies:
- (a)Uniform
- (b)Training of personnel of private security agencies
- (c)Documentation and records to be maintained by the licensee
- (d)Data Sharing Protocol
- (v) Interface with Public, Police and other departments:
- (a) Interface with Public
- (b) Liaison with police and other concerned Government Departments.
- (vi) Private Security Personnel- DO's and DON'Ts(Conduct Rules)
- (4) The licensee shall intimate the name, parentage, date of birth, permanent address, address for correspondence and the principal profession of each person forming the Agency within fifteen days of receipt of the licence to the Controlling Authority.
- (5) The licensee shall inform the Controlling Authority regarding any change in the address of persons forming the Agency or change of management within thirty days of such change.
- (6) The licensee shall immediately intimate to the Controlling Authority about any criminal charge framed against the persons forming the Agency or against a private security guard or supervisor engaged or employed by the Agency, in the course of performance of duties as private security agency. A copy of such communication shall also be sent to the officer in charge of the police station where the person charged against resides.
- (7) Every licensee shall abide by the requirements of physical standards for the private security guards and their training as prescribed in these rules as the condition on which the licence is granted.
- (8) Save as provided in these rules, the fees paid for the grant of licence shall be non-refundable.
- (9) The licensee shall commence its activities within six months of obtaining the licence.
- (10) Commencement of activities shall include establishment of office premises and engagement of supervisors as provided under sub-section (3) of section 9 of the Act and in accordance with rule 10.

5. Renewal of licence –

- (1) Every Agency shall apply to the Controlling Authority for renewal of the licence in Form I along with Form II and Form III not less than forty-five days before the date of expiry of the period of validity thereof and after complying other conditions of section 8 of the Act.
- (2) If the applicant is a company, a firm or an association of persons, the application in Form I shall be accompanied by Form II for every proprietor or majority shareholder, partner or director of the company, as if they were also the applicants.
- (3) The Controlling Authority shall verify the antecedents of the applicant in the same manner as mentioned in sub-rule (4) of rule 3.
- (4) The Controlling Authority, after receiving an application in Form I shall grant a renewal of licence in Form IV after making such enquiry as it considers necessary and after compliance with the provisions of the Act.
- (5) In case of non-receipt of the application for renewal of licence within the period mentioned in sub-rule(1), the agency shall be treated as un-licensed agency after the expiry of licence.
- (6) After expiry of period of applying for renewal of licence, the Agency may apply for fresh licence as per section 7 of the Act.
- (7) The fees chargeable for renewal of the licence shall be the same as for the grant of licence as mentioned in sub-rule (6) of rule 3.
- (8) Applications received after the period stipulated in sub-rule (1) and before the expiry of licence shall not be processed for renewal of licence.
- (9) The Controlling Authority shall pass an order on application for renewal of licence in Form I within thirty days from the date of receipt of application complete in all respects.
- (10) The validity of renewed licence shall be counted from the date of expiry of the previous licence and shall be upto a period of five years irrespective of its date of renewal. In case the application is decided by the controlling authority after expiry of the existing licence, the intervening period shall deem to be under valid licence.
- (11) The Controlling Authority and Private Security Agencies shall not be liable for delays occurring by reason of circumstances beyond human control, including but not limited to acts of civil or military authority, national emergencies, riot, acts of God.

6. Conditions for renewal of licence-

The renewal of the licence shall be granted subject to the following conditions, namely:-

- (i) The applicant continues to maintain his principal place of business in the jurisdiction of the Controlling Authority;
- (ii) The applicant continues to ensure the availability of the training for its private security guards and supervisors required under sub-rule (2) of rule 8 of these rules;
- (iii) The applicant continues to adhere to the licence conditions;
- (iv) The applicant has no criminal antecedents as may be verified from a database of crime and criminals.

7. Verification of character and antecedents of the private security guard and supervisor -

- (1) Before any person is employed or engaged as a security guard or supervisor, the Agency shall satisfy itself about the character and antecedents of such person in any one or more of the following manner, namely:-
 - (a) by relying upon the character and antecedents verification certificate produced by the person:

Provided that the character and antecedent certificate shall be valid and the Agency does not have any adverse report regarding the person's character and antecedents from any other source;

- (b) by accessing electronic databases of crime and criminal like the Crime and Criminal Tracking Networks and Systems (CCTNS), Interoperable Criminal Justice System (ICJS) for verification of the character and antecedents through the Controlling Authority or the Police.
- (2) The person desirous of getting employed or engaged as security guard or supervisor shall submit Form V to the Agency. In addition, he shall submit an Affidavit in Form VI incorporating the details in relation to the provisions contained in sub-section (2) of section 10 of the Act.
- (3) The fee for verification of character and antecedent shall be deposited with Delhi Police in offline/online mode.

- (4) The authority to which the application is made shall ensure that character and antecedent verification report is issued within fifteen days of the receipt of the character and antecedent form.
- (5) Character and antecedents' verification report once issued shall remain valid for five years irrespective of the change in employer status.
- (6) On the basis of character and antecedents' verification, the Agency shall issue in Form VII a character and antecedents certificate and this certificate shall not be taken back by such Agency even if the person ceases to be the employee of that Agency.

8. Security Training:-

- (1) The Controlling Authority shall frame the detailed training syllabus required for training the security guards in accordance with National Skill Qualification Framework. For entry level, this training shall be for a minimum period of hundred hours of classroom instruction and sixty hours of field training, spread over at least twenty working days. The ex-servicemen and former police personnel shall however be required to attend a condensed course only, of minimum forty hours of classroom instructions and sixteen hours of field training spread over at least seven working days.
- (2) The training shall include the following subjects, namely:-
 - (a) conduct in Public and correct wearing of uniform;
 - (b) physical fitness training;
- (c) physical security, security of the assets, security of the building/apartment, personnel security, household security;
 - (d) fire fighting;
 - (e) crowd control;
 - (f) examining identification papers including identity cards, passports and smart cards;
- (g) should be able to read and understand English alphabets and Arabic numerals as normally encountered in the identification documents, arms licence, travel documents and security inspection sheet;
 - (h) identification of improvised explosive devices;
 - (i) first-Aid;
 - (j) crisis response and disasters management;
 - (k) defensive driving (compulsory for the driver of Armoured vehicle and optional for others);
 - (l) handling and operation of non-prohibited weapons and firearms,(optional);
- (m) rudimentary knowledge of Indian Penal Code, right to private defense, procedure for lodging first information report in the police station, Arms Act(only operative sections); Explosives Act (operative sections);
 - (n) badges of rank in police and military forces;
 - (o) Identification of different types of arms in use in Public and Police;
 - (p) use of security equipments and devices(for example; security alarms and screening equipments); and
 - (q) leadership and management(for supervisors only).
- (3) The security supervisor, Armed Security and Unarmed Security Guard shall have to successfully undergo the training prescribed by the Controlling Authority.
- (4) On completion of the training each successful trainee shall be awarded a certificate in form VIII by the training institute.
- (5) The training certificates issued to the guards/supervisors from Training Institutes in one State shall be accepted in other State also.
- (6) The Controlling Authority shall inspect the functioning of training facility from time to time either by itself or through its own officers. Normally such inspection shall be conducted at least two times every year.
- (7) All the training agencies shall submit the details of security guards/supervisors trained, batch wise, to the Controlling Authority within 30 days of completion of each batch, along with copy of their training certificates in online/offline mode.

- (8) Based on training completed and requirement of the job, private security agency may have their own designations provided that no agency shall adopt any of the ranks of the armed forces, paramilitary forces or States Police Forces.
- (9) The Controlling Authority either by itself or through its officers may verify the training and skills imparted to the private security guards and supervisors by any private training agency.
- (10) The Controlling Authority may review the continuation or otherwise of license of such security agencies which may not have adhered to the conditions of trained personnel on its rolls.

9. Standard of physical fitness for security guards -

- (1) A person shall be eligible for being engaged or employed as security guard if he fulfils the standards of physical fitness as specified below:-
 - (i) Height, 160 cms (Female 150 cms), weight according to standard table of height and weight, chest 80 cms with an expansion of 4 cms (for females no minimum requirement for chest measurement).
 - (ii) Eye sight: Far sight vision 6/6, near vision 0.6/0.6 with or without correction, free from color blindness, should be able to identify and distinguish color display in security equipments and read and understand display in English alphabets and Arabic numerals.
 - (iii) Free from knock knee and flat foot and should be able to run one kilometer in six minutes.
 - (iv) Hearing: Free from defect; should be able to hear and respond to the spoken voice and the alarms generated by security equipments.
 - (v) The candidate should have dexterity and strength to perform searches, handle objects and use force for restraining the individuals in case of need.
- (2) A candidate should be free from evidence of any contagious or infectious disease. He should not be suffering from any disease which is likely to be aggravated by service or is likely to render him unfit for service or endanger the health of the public.
- (3) Agency shall ensure that every private security guard working for it undergoes a medical examination after every twelve months from his last such examination so as to ensure his continued maintenance of physical standard as prescribed for the entry level.

10. Provision for Supervisors -

- (1) There shall be one supervisor to supervise the work of not more than fifteen private security guards.
- (2) In case the private security guards are on security duty in different premises and it is not practical to supervise their work by one supervisor, the agency shall depute more number of supervisors so that at least for every six private security guards there is one supervisor available for assistance, advice and supervision.
- 11. Appeals and procedure.- Every appeal under sub-section (1) of section 14 of the Act shall be preferred in Form IX signed by the aggrieved person or his authorized advocate and presented to the Home Secretary to the State Government in person or in electronic or digital form or sent to him by registered post.
- **12. Register to be maintained by the Agency-** The register required to be maintained under the Act by the Agency shall be maintained electronically in Form X.

13. Photo identity card-

- (1) Every photo identity card issued by the Agency under sub-section (2) of section 17 of the Act shall be in Form XI.
- (2) The photo identity card shall convey a full-face image in color, full name of the private security guard, name of the Agency and the employee number of the individual to whom the photo identity card is issued.
- (3) The photo identity card shall clearly indicate the individual's position in the Agency and the date up to which the photo-identity card is valid.
- (4) The photo identity card shall be maintained up to date and any change in the particulars shall be entered therein.
- (5) The photo identity card issued to the private security guard shall be returned to the Agency issuing it, once the private security guard is no longer engaged or employed by it.
- (6) Any loss or theft of photo identity card shall be immediately brought to the notice of the Agency that issued it.

14. Other conditions of license.-

- (1) Notwithstanding whether the Agency mandates its private security guards to put on uniform while on duty or not, every private security agency shall issue and make it obligatory for its security guards to put on:
 - (a) an arm badge distinguishing the Agency;
 - (b) shoulder or chest badge to indicate his position in the organization;
 - (c) whistle attached to the whistle cord and to be kept in the left pocket;
 - (d) shoes with eyelet and laces;
 - (e) a headgear which may also carry the distinguishing mark of the Agency.
- (2) The clothes wear by the private security guard while on active duty shall be such that they do not hamper in his efficient performance. In particular they shall neither be too tight nor too loose as to obstruct movement or bending of limbs.
- (3) Every private security guard shall carry a notebook and a writing instrument with him.
- (4) Every private security guard while on active security duty shall wear and display photo-identity card issued under section 17 of the Act, on the outer most garment above waist level on his person in conspicuous manner.
- (5) The Controlling Authority either by itself or through its own officers may, at any time enter the premises of the Agency and inspect and examine the place of business, the records, accounts and other documents connected with the license and may take record(s), copy of any relevant document(s).
- (6) The agency must furnish the details of person engaged as Security Guard/Security Supervisor to the Controlling Authority Quarterly or Half yearly as per orders by Controlling Authority in this regard.
- 15. Repeal and Savings- The Delhi Private Security Agencies (Regulation) Rules, 2009 is here by repealed:

Provided that such repeal shall not-

- (i) Affect anything done or any action taken under the rules, so repealed; or
- (ii) Affect obligation or liability acquired accrued or incurred under the rules, so repealed; or
- (iii) Affect penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offence committed under the rules, so repealed; or
- (iv) Affect any investigation, legal proceeding or remedy in respect of such obligation, liability, penalty, forfeiture or punishment as aforesaid.

By Order and in the Name of Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi,

ASHA CHAUDHARY MALHOTRA, Addl. Secy. (Home)

Form I

(See rule 3, 5)

APPLICATION FOR GRANT OF LICENCE /RENEWAL OF LICENCE TO ENGAGE IN THE BUSINESS OF PRIVATE SECURITY AGENCY

To

The Controlling Authority

The undersigned hereby applies for obtaining a licence to run the business of operating services in the area of Private Security Agencies

- 1. Full name of the applicant:
- 2. Nationality of the applicant:
- 3. Son/wife/daughter of:
- 4. Residential Address:
- 5. Address ,where the applicant desires to start his Agency:
- 6. Name of the Private Security Agency:

7.		ditional details of the Private Security Age	ency (if applica	ble): (a)					
	(b)	ESI No							
	(c)	EPF No							
	` ′	Labour Licence No							
	(f)	Labour Registration No							
	(h)	Whether the Agency has FDI? (Yes/No).							
		If Yes, Give the following information;							
	(i) Country of FDI:								
		(v) No. of shares:(vi) Percentage of foreign shareholding:							
		(vii) Approval details of FDI:	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •						
		(Please attach the relevant document	nt of FDI approv	val.)					
8. Agency		ne and addresses of Proprietor, partner,	Majority shar	eholder, Director	and Chairman	of the			
S. No.		Management Type(Proprietor/partner/Majority shareholder/Director/Chairman	Name	Address	DIN No.(if held)	ID Prowith no.			
9. 10.	(a)	ne and extent of facilities available: Does the applicant possesses the trainings:				arcing			
		If the applicant has own training facility, me of training agency:	please provide	the following info	rmation:				
	Ad	dress of Training agency:							
	Re	cognition details of Training agency:			•••				
11.	Eau	ipments which will be used for Security so	ervices						
	(a) (b)	Door Framed Metal Detector (DFMD) Hand Held Metal Detector (HHMD) (c) ne Detector							
	(d)	Other Equipments							
		(i) Wireless Telephones							
		(ii) Alarm Devices							
		(iii) Armoured Vehicles							
		(iv) Arms							
12.	The	particulars of the uniform including color	:. (Please attach	color photo of uni	forms).				
13.		es the applicant intends to operate in more		-		ts			
13.	200				at of the Distile	•••			
		1234	J						

14. Does the applicant intend to operate in the entire state? Yes/No

Signature

Name of the applicant Address of the application

Telephone number of the applicant

Date of application

Enclosure:

- 1. Photo of the premises of the Agency.
- 2. ID Proof of all Management personnel.
- 3. Recognition details of training agency (if applicable).
- 4. Colour photo of uniforms.
- 5. Documents (if applicable) under the agency details given in Para 7 above.
- 6. Copy of current Income tax Clearance Certificate.
- 7. Affidavit as prescribed in Section 7 sub-section (2) of the Act
- 8. Other enclosures.

Form II

(See rule 3 and 5)

Form for verification of Antecedents of Applicant NOTE: If the applicant is a company, a firm or an association of persons, this form shall be filled up by every proprietor or majority shareholder, partner or director of the company, as if they are also the applicants. Signature of the Applicant -----For official use only Form number Antecedents verification issued by: Date Fee Amount Rs. ------ Cash /D.D. ----- Date of Issue -----Please fill in BLOCK LETTERS: (CAUTION: Please furnish correct information. Furnishing of incorrect information or suppression of any factual information in the form will render the candidate unsuitable for grant of licence) 1. Name of applicant (Initials not allowed) Last name ------ First name------2. If you have ever changed your name, please indicate the previous name(s) in full ------3. Sex (male / female). ---4. Date of Birth (DD/MM/YYYY): -----5. Aadhaar No. 6. PAN No. 7. Place of Birth: Village / Town -----District -----State and Country -----8. Father's Full Name/Legal Guardian's Full Name (including surname, if any): (Initials not allowed) ------_____ 9. Mother's Full Name (including surname, if any): (Initials not allowed)

10. If married, Full Name of Spouse (including surname, if any). (Initials not allowed)

28	DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY		
11.	. Present Residential Address, including Street No./police station, village and District (with PIN code)		
	Telephone No./Mobile No		
12.	. Please give the date since residing at the above-mentioned address: (DD/MM/YYYY)	-	
13.	Permanent Address including Street No. /police station, village and District (with PIN code)		
14.	. If you have not resided at the address given at COLUMN (11) continuously for the last five y please furnish the other address (addresses) with duration(s) resided.	/ears,	
Fro	omTo Address		
• • • •			
•••			
15.	. In case of stay abroad particulars of all places where you have resided for more than one year after atta the age of twenty-one years	aining	
16.	. Other Details:		
	(a) Educational Qualifications. :		
	(b) Previous positions held if any along with name and address of employers: (c) Reason for leaving last employment:		
	(d) Visible Distinguishing Mark:(e) Last 3 years IT Return:		
	S.No. Assessment Year Copy of ITR enclosed (Yes/No)		
	1		
	2		
	3		
	(f) Affidavit incorporating the provisions of Section 6 of the Act enclosed: Yes/No		
17.	. Did you earlier operated any Private Security Agency or were its partner, majority shareholder		
or	Director? If yes then furnish the name, address of the Agency and its licence particular	rs.	
10		. 4	
18.	. Are you a citizen of India by: Birth/ Descent/Registration/Naturalisation: If you have ever possessed an citizenship, please indicate previous citizenship	y otne	
19.	. Have you at any time been convicted by a court in India for any criminal offence and sentenced to imprisonment? If so, give name of the court, case number and offence. (Attach copy of judgment)	ent)	
20.	. Is/Are any criminal proceeding(s) pending against you before a court in India? If so, give nam court, case number and offence	ne of	
21.	. Self- Declaration:		
	The information given by me in this form and enclosures is true and I am solely responsible faccuracy.	or	

(Signature of applicant)

	Date:
	Place
	Enclosures:
	(Signature of applicant
	Form-III
	(See rule 3(2)/ rule 5(1))
	Affidavit
	IS/o / D/o / W/o Mr./Msresident of
firi	
1.	That the deponent is a citizen of India.
2.	That the deponent has attained the age of 18 years.
3.	That the details of the Proprietor/ Partners/ Directors (Please indicate the details of all the
	Partners/ Directors) are as under:
	S.No. Name of Designation in the Residential

S.No.	Name of Proprietor/Partners/Directors	Designation in the firm/agency/company(Proprietor/Par tner/Director)	Residential Address

- 4. That the deponent or any of the Proprietor/ Partner/ Director has not been convicted of any offence in connection with promotion, formation or management of a company (any fraud or misfeasance committed by him in relation to the firm/agency/company), including an undischarged insolvent.
- 5. That the deponent or any of the Proprietor/ Partner/ Director has not been convicted by a competent court for an offence, the prescribed punishment for which is imprisonment of not less than two years.
- 6. That the deponent or any of the Proprietor/ Partner/ Director has not been -
 - (a) keeping links with any organisation or association which is banned under any law on account of their activities which pose threat to national security or public order; or
 - (b) indulging in activities which are prejudicial to national security or public order.
- 7. That the deponent or any of the Proprietor/ Partner/ Director has not been dismissed or removed from Government service on grounds of misconduct or moral turpitude.
- 8. That the firm/agency/company is registered in India and does not have a proprietor or a majority shareholder, partner or director, who is not a citizen of India.
- 9. That the deponent and all the Partner/ Director of the firm/agency/company shall comply with the provisions of sub-section (2) of section 9 of the Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005 (29 of 2005) by ensuring availability/imparting of such training and skills to its private security guards and supervisors as prescribed.
- 10. That the deponent and all the Partner/ Director of the firm/agency/company shall fulfill the following conditions of licence as stipulated under section 11 of the Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005 (29 of 2005).
 - (i) prescribed training which the licensee is to undergo;
 - (ii) details of the person or persons forming the agency;

- (iii) obligation as to the information to be provided from time to time to the Controlling Authority regarding any change in their address, change of management;
- (iv) obligation as to the information to be provided from time to time to the Controlling Authority about any criminal charge made against them in the course of their performance of duties of the private security agency or as the case may be, a private security guard employed or engaged by them.
- (v) Competent authority in the State Government/UT administration may verify about imparting of required training by the private security agency under sub-section(2) of section 9 of the Act and may review continuation or otherwise of license of the private security agency if the agency have not adhered to the condition of ensuring the required training.
- 11. That there are no cases registered with police or pending in court of law against the deponent.

Or

That there are cases registered with police or pending in court of law against the deponent. (Details shall be enclosed)

12.	That the deponent and all the Partner/ Director of the firm/agency/company will comply, conditions of licence
	and in letter and spirit, with the provisions of the Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005 (29 of
	2005) and the relevant rules notified by the State Government/UT administration under the Act and also
	comply with the instructions issued from time to time by the Controlling Authority appointed under the Act, while managing private security agency with the name and title M/s
	while managing private security agency with the name that the missions and the missions are security agency with the name that the missions are security agency.

Deponent

Note: (i) Point No. 4 to 8 relates to compliance of section 6 of the Act.

- (ii) Point No. 9 relates to compliance of section 9(2) of the Act.
- (iii) Point No. 10 and 11 relates to compliance of section 11 of the Act.
- (iv) Strike the points which are not applicable.

Deponent

Form IV

(See rule 3(10)

GOVERNEMENT OF _____

Licence to engage in the business of Private Security Agency

Serial No					
Date					
Name of the Private Security Agency:					
Shri	(name of the Applicant)				
S/o	r/o				
granted the license by the Controlling Officer for the Stato run the business of Private Security Ager words) office at(address of the office)	te of ncy in the district(s) of/State of (strike of the inapplicable				
Place of Issue					
Date of issue					
This license is valid up to					

Signature
Name of granting Authority
Designation
Official Address

DE	ATT:	W W 7	AT
KE.	NE	, VV	ΑI

		RENEWAL		
		(See rule 5(4))	
SI.No	Date of Renewal		Date of expiry	
1.				
2				
3.				
4				
				Signature
				Name of granting Authority
				Designation
				Official Address
		Form V		
		(See rule 7(2))		
	Form for ver	rification of Characte	r and antecede	nts of
	S	ecurity Guard and Su	ıpervisor	
Signat	ture of the Applicant			
For official use	only			
Form number		Character & verification issued b	antecedents by:	Date
Date of Issue - Please Furnishing of	e fill in BLOCK LET	TERS: (CAUTION: r suppression of any	Please furnis	sh correct information. mation in the form will render
1. Name of app	plicant as should appear in the	he photo-identity card	(Initials not allo	wed) Last
	First name_ ever changed your name, pla			
3. Sex (male/fe		ease muicate the previo	ous manne(s) in re	111
	h (DD/MM/YYYY):			
	th: Village / Town			
	Star			
7. Father's Full	Name/ Legal Guardian's Fu	all Name (including sur	rname, if any): (
8. Mother's Fu	ll Name (including surname	e, if any): (Initials not a	llowed)	
9. If married, Fu	ıll Name of Spouse (includir	ng surname, if any). (Ir	itials not allowe	ed)
	sidential Address, including			

(Signature of applicant)

	Telephone No./Mobile No
11.	Please give the date since residing at the above mentioned address: DD/MM/YYYY
12.	Permanent Address including Street No./police station, village and District (with PIN code)
13.	If you have not resided at the address given at COLUMN (10) continuously for the last five years, please furnish the other address (addresses) with duration(s) resided. From
14.	In case of stay abroad particulars of all places where you have resided for more than one year after attaining the age of twenty-one years.
15.	Other Details:
(a)) Educational Qualifications:
(b)) Previous posts held along with name and address of employer:
(c)) Reason for leaving last employment:
)Visible Distinguishing Mark on body:
) Height (cms):
	Affidavit incorporating the provisions of Section 10 (1) & (2) of the Act enclosed: Yes/ No
	Are you working in Central Government/ State Govt/ PSU/ Statutory Bodies: Yes/ No
17.	Are you a citizen of India by: Birth/Descent/Registration/Naturalisation: If you have ever possessed any other tenship, please indicate previous citizenship
	Have you at any time been convicted by a court in India for any criminal offence & sentenced to risonment? If so, give name of the court, case number and offence. (Attach copy of judgment)
	Is/Are any criminal proceeding(s) pending against you before a court in India? If so, give name of court, number and offence
	Has any court issued a warrant or summons for appearance or warrant for arrest or an order prohibiting your arture from India? If so,give name of court, case number and offence
21.	Self Declaration:
The	information given by me in this form and enclosures is true and I am solely responsible for accuracy.
22.]	Finger Prints:
	(Signature of applicant)
Date	e
Plac	re
Enc	losures:

Form-VI

(See	rule	7	(2)))
١.		I VIII	/	,	,,

Affidavit
lem:lem:lem:lem:lem:lem:lem:lem:lem:lem:
1. That I am a citizen of India.
2. That I have attained the age of 18 years but have not attained the age of 65 years. My date of birth is
3. That I have not been convicted by a competent court.
4. That I have not been dismissed or removed on grounds of misconduct or moral turpitude while serving in any of the armed forces of the Union, State Police Organisations, Central or State Governments or in any private security agency.
Deponent
Verification:- I,
Deponent
Note: The provisions of section 10(2) of the Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005 (29 of 2005) may be printed at the back of affidavit for awareness of deponent as follows:
"Section 10. Eligibility to be a private security guard.
(2) No person who has been convicted by a competent court or who has been dismissed or removed on grounds of misconduct or moral turpitude while serving in any of the armed forces of the Union, State Police Organisations, Central or State Governments or in any private security agency shall be employed or engaged as a private security guard or a supervisor."
FORM VII
(See rule 7(6))
CHARACTER AND ANTECEDENT CERTIFICATE
(This certificate is issued under the provisions incorporated in the rules of the Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005.)
This is to certify that Mr. /Ms, Son/Daughter of whose particulars ar given below has good moral character and reputation and that the applicant has been staying at th following address (es) continuously for the last one year
Date of Birth
Place of Birth
Educational Qualification: Profession:
Present Address
Permanent Address
This certificate is issued on the basis of(Source of certificate) and shall be valid upto a period of five years from its date of issue.
Issuing Authority
Signature
Name
Designation
$\boldsymbol{\omega}$

Address/Tel.No.

FORM VIII

(See rule 8(5))

Training Certificate
Serial number
Name of the Training Agency
Address of the Training agency
Training Agency Recognition No
[The recognition of this agency is valid upto(date)]
Certified that son/daughter ofresident ofhas completed the prescribed training for the engagement or employment as a Private Security Guard/Supervisor confirming to National Skill Qualification Framework (NSQF) standards fromtill
His signature is attested below.
Signature of the Certificate Holder
Signature of issuing authorit
Designatio
Place of issue
Date of issue
FORM IX
(See rule 11)
Form for Appeal
An Appeal under section 14 of the Act
Appellant
S/or/o
Versus
Controlling authority/
The above named appeal to the (State Home Secretary) from the order of (Controlling Authority) dated day of and against refusal of licence to run Private Security Agency and sets forth the following grounds of objection to the order appeal from namely
Enclosed list of documents
Signature
Name and Designation of the Appellant
Date
Place

Form X

(See rule 12)

Register of particulars

(Register A: Management details)

S.No	Name of person(s) managing the Agency	Parent's/Father's name	Present address & phone no.	Permanent Address	Nationality	Date of joining/leaving the agency
1.						

(Register B: Private Security Guards and Supervisor)

S.No	Name of	Father'	Present	Date of	Permanent	Photograph	Finger	Employee	Salary with
	Guard/	s name	address &	Joining/leaving	Address		Prints		date, ESI,
	Supervisor		phone no.	the Agency					EPF umbers
									and
									Bank/Branch
									through
									which paid.

(Register C: Customers)

SI. No.	Name of the Customer & phone no.	Address of the place where Security is provided	Number and ranks of Security Guards provided	Date of commencement of services	Date of discontinuation of services

(Register D: Duty Roster)

SI. No.	Name of the Private security guard/Supervisor	Address of the place of duty	Whether provided with any arms/ammunition	Date and time of commencement of duty	Date and time of ending of duty

Form XI

(See rule 13)

Photo Identity card for Private Security Guard/Supervisor

(Name of the Private Security Agency)

Signature of the cardholder.....

Identity Card No	
Name	Colour Photo
Official Designation	
Employee no	
Blood Group	
Date of issue	
Valid up to	

Signature of the issuing authority

Official seal